


न्यास की ग्राम नया नोहरा योजना में खसरा नं. 139 से 148 में रिसोर्ट हेतु भूखण्ड संख्या 2 प्राप्त करने का

सुनहरा आवस्य

नीलामी की मुख्य शर्तें :-

- 1) बोलीदाता स्वयं उपस्थित होगा। अमानत राशि रु. 15.00 लाख डी.डी./पे आर्डर सचिव नगर विकास न्यास, कोटा के नाम दिनांक 26-02-2016 दोपहर 02:00 बजे से 03:00 बजे तक जमा होगी। बोली का समय आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी बोली में भाग लेने हेतु निर्धारित नीलामी प्रपत्र मय फोटो बोलीदाता का पेनकार्ड की प्रति एवं परिचय पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित कर प्रपत्र भरकर नीलामी हॉल में धरोहर राशि के अतिरिक्त 500/- रजिस्ट्रेशन राशि उसी दिन कार्यालय समय दोपहर 02:00 बजे से 03:00 बजे तक जमा करवाकर टोकन प्राप्त करना होगा। बोलीदाता नीलामी हॉल में 03:00 बजे तक आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे अन्यथा आपको अनुपस्थित मान कर आगामी कार्यवाही कर दी जावेगी। रजिस्ट्रेशन राशि 500/- - रु. वापस देय नहीं होगी। बोलीदाता को पेनकार्ड की प्रति एवं स्वयं का पहचान पत्र नीलामी फार्म के साथ संलग्न करनी होगी तथा मोबाईल नम्बर देना होगा। मोबाईल का उपयोग बन्द रहेगा। कई बार यह भी देखा गया है कि नीलामी के उपरान्त पत्र में नाम परिवर्तन हेतु निवेदन किया जाता है, जो संभव नहीं होता है। अतः नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन फार्म की पूर्ति पूर्ण रूप से सोच-समझ कर करें। इसके बाद में परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- (2) एकल बोली स्वीकार /अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
- (3) किसी संस्था/कम्पनी फर्म की ओर से बोली लगाने वाला अधिकृत होने का अधिकृत-पत्र पेशकरेगा जो नोटरी द्वारा सत्यापित होगा। संस्था/कम्पनी फर्म के विधान की सत्यापित प्रति पेश करनी होगी।
- (4) कम्पनी/संस्था द्वारा नीलामी में भाग लेने पर दूसरा व्यक्ति पदाधिकारी/कार्मिक ही होगा। किन्तु दो से अधिक व्यक्ति कम्पनी नहीं भेज सकेगी। पहला व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति हो सकता है।
- (5) प्रथम बोली रु. 7500/- प्रति वर्ग मीटर से अधिक होगी तथा प्रत्येक बोली रु. 50/- प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होगी।
- (6) सफल बोली दाताओं को कुल राशि का 25 प्रतिशत भाग मौके पर ही जमा करवाना होगा।
- (7) बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष नगर विकास न्यास, कोटा में सुरक्षित रहेगा तथा स्वीकृति के पर्याप्त निर्धारित समय में शेष राशि जमा करवानी होगी।
- (8) भूखण्ड पर निर्माण से पूर्व नगर विकास न्यास, कोटा से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मानचित्र स्वीकृत करवाना होगा।
- (9) भूखण्ड 89 वर्षीय पट्टेदारी पर राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अनुसार नीलाम किया जावेगा, जिसकी लीज राशि आरक्षित दर पर अलग से नियमानुसार जमा करवानी होगी।
- (10) भूखण्ड जहाँ है, जिस अवस्था में है, के आधार पर नीलाम किया जावेगा।
- (11) आरक्षित दर 7332/- प्रति वर्ग मीटर है।
- (12) अन्य शर्तें कार्यालय में देखी जा सकती हैं।



तकनीकी मानदण्ड (वर्तमान में लागू भवन विनियम- 2013 (संशोधित) के अनुसार)

सेट बैक :-	भूखण्ड संख्या -2
फ्रन्ट :-	30.00 मीटर
बैक :-	15.00 मीटर
साईड-1 :-	30.00 मीटर
साईड-2 :-	15.00 मीटर
- अधिकतम तंचाई :-	9 मीटर
- एफ.ए.आर. :-	0.4 मानक एवं अधिकतम FAR 0.4
- आच्छादित क्षेत्र :-	20 प्रतिशत
- अन्य मानदण्ड :-	1. भवन विनियम 2013 (संशोधित) के अनुसार 2. भूखण्ड के 30 मी. चौड़े अग्र सैट बैक में वृक्षारोपण पट्टी विकसित की जानी होगी।

भूखण्ड की विशेषताएँ

1. योजना मुख्य कोटा बारां सड़क (60 मीटर) पर स्थित है।
2. एन.एच-27, Bye-Pass के समीप स्थित।
3. आबादी एवं शहर के समीप।
4. यातायात के साधन उपलब्ध।

अध्यक्ष
नगर विकास न्यास, कोटा
सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा
Website:- WWW.UITKOTA.ORG Ph.No. :-0744-2500539 (श्री सागर मीणा कनिष्ठ अग्नि0 मो0न0 9928160887)

